PRIA
INTERNATIONAL ACADEMY
EVERY ONE, A LIFELONG LEARNER

वेबिनार

COVID19 - रिवर्स माइग्रेशन (गावों की ओर पलायन) से निपटने के लिए पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की तैयारी और जवाबदेही

दिनांक : 14 अप्रैल 2020 समय : 11.00 - 12.45 बजे

भारत की कुल आबादी का 37 प्रतिशत यानि 45.36 करोड़ लोग प्रवासी हैं । इनमें से लगभग 3 करोड़ लोग रोजगार या काम के लिए विस्थापित हुए (जनगणना, 2011) और अधिकांश शहरों में अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं । आर्थिक सर्वेक्षण 2016 -17 के अध्याय "गतिशील और मंथनशील भारत - नए साक्ष्य" से पता चलता है की हर साल औसतन 9 मिलियन लोग शिक्षा या काम के लिए राज्यों के बीच पलायन करते हैं । हालाँकि यह किसी ने नहीं सोचा था कि ""गतिशील और मंथनशील भारत" एक दिन बुरा सपना बन जायेगा । COVID19 के कारण हुए लॉक डाउन की वजह से लाखों लोगों का वापस गांवों की ओर लौटना एक अभूतपूर्व घटना थी । इन प्रवासी श्रमिकों में अधिकांशतः देश के सबसे गरीब और पिछड़े जिलों से थे और मुख्यतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के थे । इनमें से अधिकांश के पास भूमि या सम्पति नहीं है, वे अपने परिवारों के निर्वहन के लिए दैनिक या साप्ताहिक मजदूरी पर निर्भर थे और शहरों में घनी आबादी वाली अनियमित बस्तियों और कॉलोनियों में रहते थे । COVID19 वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अचानक हुए लॉक डाउन ने संक्रमण और मृत्यु का आतंक पैदा कर दिया और रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ा दिया । लॉक डाउन की अवधि की अनिश्चिता के कारण यह स्थिति जारी रहने की सम्भावना है और लम्बे समय में इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं । ऐसी घटनाएं सामने आयी हैं, जहाँ लौटने वाले लोगों को उनके अपने गांवों में पहुँचने पर उत्पीड़न और घर जाने पर रोक का सामना करना पड़ रहा है । गलत सूचना, पूर्वधारणाओं और जगरूकता की कमी इसमें प्रमुख अवरोध हैं क्योंकि लौटने वालों को वायरस के वाहक के रूप में देखा जाता है और स्थानीय लोगों द्वारा इनके वापस लौटने का स्वागत नहीं किया जाता । वापस आये लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार और आजीविका के अवसरों की कमी है - और इसी कारण इन लोगों ने गांवों से पलायन किया था ।

केंद्र और राज्य सरकारों ने कई अंतरिम राहत पैकज की घोषणा की है । इसे प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए, पंचायती राज संस्थाऐं एक प्रमुख भूमिका निभा सकती हैं क्योंकि वे इन लोगों के लिए सबसे निकटतम संस्थान हैं । इस स्थिति में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है - जैसे स्वच्छता को बढ़ावा देना, बाहर से आये लोगों को अलग रखने (क्वारंटाइन) की व्यवस्था और इन परिवारों के लिए भोजन की व्यवस्था । बहुत सी पंचायतों ने इस संबंध में पहल करते हुए कई कदम उठाये हैं और उनकी प्रासंगिकता और प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया है । पंचायतों को और अधिक काम करने के लिए समर्थन दिया जा सकता है, बशर्ते की इन्हें यह समझने के लिए सहयोग किया जाये :

- COVID19 के अंतर्गत स्वास्थ्य निवारक उपाय
- राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा घोषित पात्रता
- प्रवासियों को आजीविका और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार
- सरकार और नागर समाज के प्रयासों में तालमेल कायम करना

- प्रवासियों के बारे में ग्राम पंचायत स्तर पर एक सूचना प्रणाली विकसित करना

14 अप्रैल 2020 (मंगलवार) प्रातः 11.00 से 12.45 बजे "COVID19 - रिवर्स माइग्रेशन (गावों की ओर पलायन) से निपटने के लिए पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की तैयारी और जवाबदेही" पर एक वेबिनार का आयोजन निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा के लिए किया जा रहा है:

1. रिवर्स माइग्रेशन से उत्पन्न होने वाली नाजुक स्थिति को दूर करने के लिए पंचायतों क्या तत्काल प्रतिक्रियाएं कर रही हैं ?
2. मध्यम अवधि में महामारी और उसके प्रभावों से निपटने के लिए पंचायती राज संस्थायें क्या भूमिका निभा सकती हैं ?
3. प्रभावी ढंग और संवेदनशीलता से ऐसी भूमिका निभाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं का समर्थन कैसे किया जा सकता है?

पैनेलिस्ट

- श्रीमती रीटा सरीन, वाईस प्रेजिडेंट एंड कंट्री डायरेक्टर, हंगर प्रोजेक्ट, नई दिल्ली
- श्री जगदानंदा, मेंटर एंड को फाउंडर, CYSD, भुवनेश्वर
- डॉ जॉय एलमन, डायरेक्टर, केरला इंस्टिट्यूट ऑफ़ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन (KILA), थ्रिस्सूर
- डॉ योगेश कुमार, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, समर्थन, भोपाल
- डॉ कथिरेसन, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड, सेंटर फॉर पंचायती राज, NIRDPR, हैदराबाद (tbc)

मॉडरेटर

डॉ अंशुमन करोल, सीनियर प्रोग्राम मैनेजर, पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया (प्रिया), नई दिल्ली

इस वेबिनार के लिए अग्रिम रेजिस्ट्रेशन करें
https://zoom.us/webinar/register/WN_zA173cP7RteyvhC2PMeXTw

रेजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक कन्फर्मेशन ईमेल मिलेगा जिसमें वेबिनार में शामिल होने की जानकारी होगी।